



## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 142/2023

वाद पत्र अं० धारा 88/53 आर.टी.ए.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. यशपाल पुत्र नत्थूराम       | जाति अग्रवाल निवासी ढांबा तह० संगरिया जिला |
| 2. विनोद कुमार पुत्र नत्थूराम | हनुमानगढ हाल निवास डबवाली तह० डबवाली जिला  |
|                               | सिरसा                                      |
|                               | -वादीगण                                    |

### बनाम्

- मदनमोहन पुत्र नत्थूराम जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तह डबवाली जिला सिरसा हरि०
- नीरू पुत्री नत्थूराम पत्नि मंगतराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न 3 अमर कलोनी 3 एस. टी.आर घडसाना जिला श्री गंगानगर
- आशारानी पुत्री नत्थूराम पत्नि योगेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी बरनाला तह० व जिला बरनाला
- सीमा गर्ग पुत्री नत्थूराम पत्नि रामकुमार जाति अग्रवाल निवासी बरनाला तह 0 जिला बरनाला
- करणदास पुत्र कौर चन्द जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी तह संगरिया जिला हनु०
- खीतराम पुत्र देशराज जाति अग्रवाल निवासी पुरानी धान मण्डी तह० संगरिया जिला हनु०
- देशसिंह पुत्र हंसासिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
- राजजीत कौर पत्नि जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
- जसवंत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
- जवहार सिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
- सुखदर्शन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
- तहसीलदार राजस्व संगरिया
- कृष्ण सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०.
- दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जट सिख निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०.
- सरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जट सिख निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०.

-प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री राजेश बुडानिया -वकील वादीगण

2. श्री सुरेन्द्र सूच -वकील प्रति 1ता4,7,8

3. कुलदीप मूण्ड - वकील प्रति स 13 ता 15

### निर्णय

दिनांक :- 7.6.2024

वादीगण यशपाल सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत धोषणा एव तक्रामी खता के तहत दिनांक 22/03/2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीगण के पडदादा स्व चन्दूमल पुत्र सांवतमल के नाम तहसील संगरिया

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी

Page 1 of 3

संगरिया

के चक न. 4 बी.जी.पी ज.स. 2070-2073 के खाता सख्या 33/23 मे 2.175हे0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि विवादित खाता की है। उक्त भूमि की जमाबंदी सलग्न वादपत्र है कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक ही हिन्दु सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृतक चन्दुमल पुत्र सावनमल के जायज वारीसान है। वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 4 सगे भाई बहिन है कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक ही हिन्दु सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृतक चन्दुमल पुत्र सावनमल के जायज वारीसान है मृतक चन्दुमल पुत्र सावनमल के नाम चक न. 4 बी.जी.पी ज.स. 2070-2073 के खाता सख्या 33/23 मे 2.175हे0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का घरू बटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण अच्छी मंदी अनुसार काफी समय पूर्व कर लीया है उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी स 1 के कब्जा काश्त मे है। कब्जा काश्त बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है। किन्तु खाता विवादीत होने व उक्त चालु जमाबंदी मे नाम दर्ज न होने कारण वादीगण को फसल बेचने व बिजली कनेक्शन लेने व फसली ऋण लेने मे कठानाईयो का सामना करना पड रहा है। इसलीए वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकरी व दावेदार है। मुताबिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी स 1 को निम्न भूमि हक व हिस्सा मे आयी है।

— वादी स 1 यशपाल ,वादी स 2 विनोद कुमार व प्रतिवादी स 1 मदनमोहन के ब. ही.ब हक व हिस्सा की भूमि

प.न	मु.न	कि.न
208 / 130	20	10,11 / 0.506है0
207 / 130	19	6,7,8,13,14,15 / 1.518है

कुल-2.024है बरानी

कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 4 एक ही हिन्दु सयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृतक चन्दुमल पुत्र सावनमल के जायज वारीसान है प्रतिवादी स 2 ता 4 वादीगण व प्रतिवादी स 1 की संगी बहने है प्रतिवादी स 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादीगण व प्रतिवादी स 1 के पक्ष मे ब.हि.ब के हिसाब से कर दिया है। वादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। की प्रतिवादी स. 12 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम किया जावे। कि चक न. 4 बी.जी.पी ज.स. 2070-2073 के खाता सख्या 33/23 मे चन्दूमल पुत्र सावनमल का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी स 1 को व.ही.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन, रजीस्टर्ड डाक , समाचार पत्र तलब किया गया। प्र.सं. 5,6,9 ता 11 द्वारा हाजिर अदालत ना आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। प्रार्थीगण कृष्ण,दर्शन एव सरजीत ने प्रार्थनी पत्र अ आ 1 नि 10 सी.पी.सी पेश कर वाद पत्र मे बतौर पक्षकार सयोजित किये जाने हेतु निवेदन किया वकील वादीगण ने विरोध नही किया स्वीकार किया जाकर बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया प्रतिवादी स 1 ता 4 ने सहमती का जवाब दावा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी स 7 व 8 व 13 ता 15 ने जरिये अधिवक्ता हाजीर अदालत आकर जवाब दावा मय काउटर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किये गये।

साक्ष्य वादी मे वादी स 1 ने शपथ पत्र अर्त आ 18 नि 4 सी.पी.सी प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यो का दोराहाया गया एव सलग्न जमाबंदी चक न 4 बी.जी.पी ज.स.2070-73 खाता स 33/23 प्रदर्श 1 है प्रतिवादीगण साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है उक्त खाता विवादीत होने के कारण उभयपक्ष वाद पत्र मे कब्जा काश्त संबधी साक्ष्य पेश करने मे असमर्थ रहा इसलिए न्यायलय द्वारा तहसीलदार राजस्व संगरिया को पत्र कमाक रीडर/2023/111 दिनाक 10-10-2023 जारी किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मगवाया गया। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा न्यायालय मे विभाजन प्रस्ताव कमाक/भू.अ/2024/890 दिनाक 20-03-2024 को प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विरोध न करते हुए कथन किया कि वादीगण का खाता तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमाक/भू.अ/2024/890 दिनाक 20-03-2024 के कब्जा काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अन्य प्रतिवादीगण के नाम कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाने हेतु निवेदन किया प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउटर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कथन का विरोध नही किया। प्रतिवादी स 1 ता 4 का सहमती का जवाब दावा व प्रतिवादी स 7 व 8 व 13 ता 15 का जवाब दावा मय काउटर क्लेम पेश हुआ। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से मोका पर कब्जा काश्त का वकील प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इस विषय प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादीगण का जवाब दावा व प्रतिवादी स 1 ता 4 का सहमती का जवाब दावा व प्रतिवादी स 7 व 8 व 13 ता 15 का जवाब दावा मय काउटर क्लेम मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने योग्य है।

**--:: क्रियात्मक आदेश ::--**

अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी स 1,15,34,39,40,41 के प्रतिवादी स 1 ता 4 का सहमती का जवाब दावा व प्रतिवादी स 7 व 8 व 13 ता 15 का जवाब दावा मय काउटर क्लेम व तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि चक न. 4 बी.जी.पी ज.स. 2070-2073 के खाता सख्या 33/23 मे तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव कमाक /भू.अ/2024/890 दिनाक 20-03-2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कलमजन कर रकमराज अलग से कायम किया जाता है पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फौसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक.....7.6.2024..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( राकेश कुमार मीना )  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधीक्षक संगरिया  
 संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 142/2023

वाद पत्र अंधारा :- 88/53 आरटीए

1. यशपाल पुत्र नत्थूराम } जाति अग्रवाल निवासी ढांबा तह0 संगरिया जिला  
2. विनोद कुमार पुत्र नत्थूराम } हनुमानगढ हाल निवास डबवाली तह0 डबवाली जिला

सिरसा

-वादीगण

बनाम्

1. मदनमोहन पुत्र नत्थूराम जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तह डबवाली जिला सिरसा हरि0
2. नीरू पुत्री नत्थूराम पत्नि मंगतराम जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न 3 अमर कलोनी 3 एस. टी.आर घडसाना जिला श्री गंगानगर
3. आशारानी पुत्री नत्थूराम पत्नि योगेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी बरनाला तह0 व जिला बरनाला
4. सीमा गर्ग पुत्री नत्थूराम पत्नि रामकुमार जाति अग्रवाल निवासी बरनाला तह 0 जिला बरनाला
5. चरणदास पुत्र कौर चन्द जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी तह संगरिया जिला हनु0
6. भीताराम पुत्र देशराज जाति अग्रवाल निवासी पुरानी धान मण्डी तह0 संगरिया जिला हनु0
7. दारासिंह पुत्र हंसासिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
8. राणजीत कौर पत्नि जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
9. जबरसन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
10. जवहार सिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
11. सुखर्दशन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया
13. कृष्ण सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
14. दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
15. सरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 7.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री सुरेन्द्र सूच वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ,7,8, व श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रति स 13 ता 15 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि चक न. 4 बी.जी.पी ज.स. 2070-2073 के खाता संख्या 33/23 मे तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक /भू.अ/2024/890 दिनांक 20-03-2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कलमजन कर रकमराज

अलग से कायम किया जाता है। तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) चक नं. 4 बी.जी.पी खाता सं. 33/23

1. यशपाल, विनोद कुमार, मदन मोहन पिसरान नत्थूराम जाति अग्रवाल साकिन डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
207/130	19	6,7,8,13,14,15/1.518 है.
कुल-1.518है		

2. चरणदास पुत्र कौर चन्द 0.709 हि0 सिताराम पुत्र देसराज 1.466 हि0 जाति अग्रवाल साकिन संगरिया

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
207/129	12	23/1/0.151 है.
207/130	19	3,4,5/0.759है.
208/130	20	1,2,10,11,20/1.265है.
कुल 2.175 हैक्ट.		

3. कृष्ण सिंह, दर्शन सिंह पिसरान हाकम सिंह बहिब जाति जटसिख साकिन ढाबां

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
207/129	12	13/0.253है.,14/1/0.019है., 17/2/0.019है.,18/0.253है., 23/2/0.102है.
कुल 0.646 हैक्ट.		

4. सरजीत कौर पत्नी जंगीर सिंह 1/3 हि0 सरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह 1/3 हि0 दारा सिंह पुत्र हंसा सिंह 1/3 हि0 जाति जटसिख साकिन ढाबां

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
208/129	11	11/0.063है.,12/0.051है., 19,20,21,22/1.012है
207/129	12	14/2/0.234है.,15/0.177है. 16/0.253है.,17/1/0.234है., 24,25/0.506है.
कुल 2.530 हैक्ट.		

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा./भू.अ/2024/890 दिनांक 20-03-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदम के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ...अदा करें।  
वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...7.6.2024...जारी किया गया।

( राकेश कुमार मीना )  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया